भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून का सूचना का मैनुअल

अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपवंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

(The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक के सम्बन्ध में विनियमों यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली समान्यतः सम्मिलित नहीं है। प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप ही उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।